भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-212

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

ग्रामीण, कमजोर और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव

212. श्रीमती भारती पारधीः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के तीव्र आर्थिक विकास और बढ़ती समृद्धि के बावजूद अनेक ग्रामीण, कमजोर और वंचित समुदायों की अभी भी शिक्षा तक पहुंच नहीं है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूलों और कॉलेजों में पर्याप्त संसाधनों की कमी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विद्यालयों और महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित है जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली नवीनतम तकनीकों और समाज में हुए नवीनतम विकास के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल/उच्च शिक्षा संस्थान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र ग्रामीण, वंचित और अल्पसुविधा प्राप्त छात्रों सहित देश के छात्रों की शैक्षिक स्थिति के उत्थान हेतु प्रयास करते हैं।

मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित

करना है कि कोई भी छात्र जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खो दे। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को सरोकारों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक पहचान जैसे कि गांवों, छोटे शहरों और आकांक्षी जिलों एवं अन्य श्रेणियों के छात्र शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुँच, भागीदारी और अधिगम के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा कार्यान्वित की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न पहलों जैसे कि अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, पात्र छात्रों को नि:शुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए सहायता, आईसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि हेतु सहायता प्रदान करती है। समग्र शिक्षा के तहत ग्रामीण और वंचित छात्रों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना और संचालन, पीएम-जनमन, डीए-जेजीयूए के तहत छात्रावासों की स्थापना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चयनित सीमावर्ती गांवों के लिए विभिन्न स्कूल आधारभूत घटक आदि सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एकीकृत योजना समग्र को एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है, ताकि विभिन्न उपायों, जैसे कि नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की प्रस्तावना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान तथा छात्र विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक एवं योग्यता आधारित शिक्षा आदि के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों सहित प्रत्येक छात्र को निर्बाध शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा तक बहुविध पहुँच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।

शिक्षा मंत्रालय ने जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के आवास पर आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकें एवं वर्कशीट, और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करने जैसी कई पहल की हैं। विभाग की नवाचार निधि का उपयोग स्कूलों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) शुरू की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कठिन होता है, वहाँ प्री-लोडेड टैबलेट का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न उपाय जैसे अत्यंत आवश्यक छूट प्रदान करना, विषयों के रचनात्मक संयोजन की अनुमति देना, एकाधिक कार्यक्रम प्रदान करना, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), बहु प्रवेश/निकास के माध्यम से छात्रों के लिए समतुल्यता और गतिशीलता स्थापित करना; भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और पुस्तकें/पाठ्यक्रम सामग्री की पेशकश; शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तथा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन और शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग; शिक्षार्थियों को स्वयम मंच से 40% क्रेडिट पाठ्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देना; इंटर्नशिप के लिए उद्योग अकादमिक सहयोग और उद्योग एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करना, उद्योग-अनुरुप पाठ्यक्रमों की पेशकश; शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करना आदि किए हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून, 2023 में शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिले आदि शामिल हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में पुरानी पाठ्यचर्या के स्थान पर आधुनिक शैक्षिक पद्धतियों को अपनाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सामाजिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले स्कूल

पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 पर आधारित था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करता था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के सिद्धांतों पर आधारित दो नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) - एनसीएफ आधारभूत चरण (2022) और एनसीएफ स्कूल शिक्षा (2023) का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना है। ये रूपरेखाएं मार्गदर्शक दस्तावेजों के रूप में कार्य करती हैं जो आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और कक्षाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के निर्बाध एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं तथा शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देती हैं जो आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं। वे छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और बहुविषयक पाठ्यक्रम के एकीकरण पर बल देते हैं।

ये रूपरेखाएँ छात्रों की आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों, परियोजना-आधारित अधिगम और सहयोगात्मक गतिविधियों को शामिल करने के महत्व पर बल देती हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएफ एसई पारंपरिक शिक्षण विधियों के पूरक के रूप में डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के उपयोग की सिफारिश करता है, जिससे शिक्षकों को परिवर्तनकारी और संवादात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षक निर्देश को वैयक्तिकृत, तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं और छात्रों के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए ऑनलाइन संसाधनों के कोष को प्राप्त कर सकते हैं।

एनसीईआरटी ने कक्षा 1,2,3 और 6 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया गया है। सभी नई पाठ्यपुस्तकों में क्यूआर कोड हैं, जिनमें बच्चों को बेहतर तरीके से अधिगम में सहायता हेतु विभिन्न प्रकार की ई-सामग्री और ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम शामिल हैं।

****